न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 11/2019 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री महेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल
   एफबीओ मैसर्सः— सुरेश कुमार, महेश कुमार, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई, जिला दौसा।
2. श्री विरेन्द्र कुमार यदुवंशी प्रॉडक्शन मैनेजर/नोमिनी
   M/S Shri Hari Agro Ind. Ltd. Vill. Manesar Khedi, Benad Road, Teh. Bassi Jaipur.(Rajasthan)
3. **M/S Shri Hari Agro Ind. Ltd. Vill. Manesar Khedi, Benad Road, Teh. Bassi Jaipur.(Rajasthan)**

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण सं 2 व 3 उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: आदेश :— दिनांकः— 27.03.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.10.2018 को दोपहर बाद 04:10 बजे मैसर्स सुरेश कुमार, महेश कुमार, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री महेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक कार्टून में 1 लीटर में पॉली पैकिंग में पैक रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (अशोका) के 12 पीस (पॉली पैक) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर इनमे से चार मूल पॉली पैक रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (अशोका) 1 लीटर नमूने की जॉच हेतु खरीदे। जिसकी कीमत 317 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 4 मूल पॉली पैक रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (अशोका) को चार साफ सूखे एवं खाली कागज के डिब्बों में रखकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **A.G.**-2019 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार-चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 24.10.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.10.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (अशोका) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1700/एक्ट/2018/387 दिनांक 15.11.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (अशोका) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 2 व 3 की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (अशोका) के सैम्पल में विटामिन **A** की रिपोर्ट **Negative** पायी गयी है। जो कि **Positive** होनी चाहिए थी। इस कारण उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (अशोका) का सैम्पल सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री महेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ उनके द्वारा बिल से खरीद कर ही विक्रय किया जाना व्यक्त करते हुए अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 को उक्त प्रकरण से मुक्त करने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 व 3 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि जॉच रिपोर्ट में

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

विटामिन **A** की उपस्थिति की सकारात्मक पुष्टि बहुत कम हो पाती है। हमारे स्वयं के द्वारा करवाये गये उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने के प्रयोगशाला परीक्षण में विटामिन **A Positive** पाया गया है। हमारे द्वारा करवाये गये प्रयोगशाला परीक्षण की जॉच रिपोर्ट एवं विटामिन **A** की खरीद से सम्बन्धित बिल हमारे जवाब के साथ संलग्न प्रस्तुत है। अतः हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /1700/एक्ट/2018/387 दिनांक 15.11.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (अशोका) विटामिन **A** की रिपोर्ट **Negative** पाये जाने के कारण सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (अशोका) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 व 3 श्री विरेन्द्र कुमार यदुवंशी प्रॉडक्शन मैनेजर/नोमिनी **M/S Shri Hari Agro Ind. Ltd. Vill. Manesar Khedi, Benad Road, Teh. Bassi Jaipur.(Rajasthan)** पर 25000/-(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.03.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/725-29
दिनांकः-27.03.2019

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
4. श्री महेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल
   एफबीओ मैसर्सः- सुरेश कुमार, महेश कुमार, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई, जिला दौसा।
5. श्री विरेन्द्र कुमार यदुवंशी प्रॉडक्शन मैनेजर/नोमिनी
   M/S Shri Hari Agro Ind. Ltd. Vill. Manesar Khedi, Benad Road, Teh. Bassi Jaipur.(Rajasthan)
6. **M/S Shri Hari Agro Ind. Ltd. Vill. Manesar Khedi, Benad Road, Teh. Bassi Jaipur.(Rajasthan)**

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official